संख्या — /xxvii(7)30(8)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून दिनांकः २१ दिसम्बर, 2016**

विषयः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 27.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित संकल्प दिनांक 27.12.2016 द्वारा सार्वजनिक उपकमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी हैं।

3– उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक उपकमों/निगमों के ऐसे नियमित कार्मिक, जिन्हें सरकारी सेवकों की भांति छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य हैं, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सम्बन्धित निगम/उपकम के बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– वेतन समिति की संस्तुति के कम में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो उपकम/निगम वी.आई.एफ.आर. में संदर्भित है और उनके द्वारा इस हेतु पंजीकृत किये गये हैं अथवा समापन की प्रकिया में हैं अथवा विचाराधीन है, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

5– उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के कम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जहॉ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो तो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में दी गयी प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या २९१ /xxvii(7)30( )/2016 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के अधीन गठित निगमों/उपक्रमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नये वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।